न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 42 / 2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88,53 आरटीए
हिमांशु पुत्र श्री कुलदीप कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ वादी

बनाम्

1. कुलदीप कुमार पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री महावीर बेरड़—वकील वादीगण
2— श्री कुलदीप मूण्ड—वकील प्रति.सं. 1

निर्णय

दिनांक :— 24.2.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 / 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 104 / 13 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 में 2.783 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया था। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं :—

1. वादी हिमांशु पुत्र श्री कुलदीप कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :— चक 5 बी.जी.पी. बी खाता सं. 104 / 13 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 प.नं. 207 / 149 मु.नं.34 कि.नं. 1,2,3,7,8,9,10 / 0.253 है.प्र. कुल 1.771 है. कृषि भूमि
2. प्रतिवादी सं. 1 कुलदीप कुमार पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :— चक 5 बी.जी.पी. बी खाता सं. 104 / 13 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
206 / 148	32	16 / 1 / 0.228 है., 16 / 2 / 0.025 है., 17,24 / 0.253 है.प्र., 25 / 1 / 0.228 है., 25 / 2 / 0.025 है. कुल 1.012 है. मय गै.मु.

कृषि भूमि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी को खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से उक्त कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 2 को भू—धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 104 / 13 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 में 2.783 है. कृषि भूमि में से

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादी को 1.771 है. कृषि भूमि का खातेदार काष्तकार घोषित कर उक्तानुसार प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जाकर वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी का खाता अलग से कायम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी हिमांशु ने अपना शपथ–पत्र अर्न्तगत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया, और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी निम्नानुसार प्रदर्श/प्रस्तुत किये गये चक 5 बीजीपी खाता संख्या 104/13 ज.स. 2070–73 प्रदर्श–1 व चक 5 बीजीपी के नामान्तरण संख्या 639 दिनांक 26.04.2024 प्रदर्श–2

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 पिता पुत्र है। वादग्रस्त कृषि भूमि है जो हमारी जद्दी जायदाद है जिसका हमने अच्छी मन्दी अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और सहमति का जवाब दावा भी पेश हो चुका है एवं वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकिल प्रतिवादीगण ने भी वाद पत्र को मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 5 बीजीपी खाता संख्या 104/13 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 कुलदीप कुमार के नाम से चक 5 बीजीपी खाता सं. 104/13 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में दर्ज आराजी मे से वादी हिमांशु को प.नं. 207/149 मु.नं. 34 कि.नं. 1,2,3,7,8,9,10 /0.253 है.प्र. कुल 1.771 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम करने तथा प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 24.2.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:– 42/2026

हिमांशु पुत्र श्री कुलदीप कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ वादी

बनाम्

1 कुलदीप कुमार पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया।

2 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 कुलदीप कुमार के नाम से चक 5 बीजीपी खाता सं. 104/13 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में दर्ज आराजी मे से वादी हिमांशु को प.नं. 207/149 मु.नं. 34 कि.नं. 1,2,3,7,8,9,10 /0.253 है.प्र. कुल 1.771 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम करने तथा प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट:– वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज......X......नल......X......मुब्लिक......X......निल......X......बाबत्......X......निल......X......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......X......अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.2.2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़